

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)निप/अलेसे-III लिंक न. 10536/237

दिनांक :- 19.02.2018

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री पपेन्द्र सिंह [लिंक न. 10536] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर - [16919] जिनकी जन्म तिथि 10/08/1991 है, ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 05/01/2018 द्वारा अपना नाम पपेन्द्र सिंह से परिवर्तित कर अभिनव चौधरी किये जाने का अनुरोध किया है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 के निर्णय 5 के अनुसार राजस्थान राजपत्र (गजट) के साधारण अंक संख्या 37 भाग संख्या 7 दिनांक 14/12/2017 में प्रकाशित बंध पत्र एवं समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 05/10/2017 के अंक में प्रकाशित सूचना के आधार पर इनका परिवर्तित नाम अभिनव चौधरी विभागीय रिकार्ड में दर्ज करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- F4(ई)निप/अलेसे-III लिंक न. 10536/237

दिनांक :- 19.02.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री अभिनव चौधरी [10536] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)